न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7 / 2020 (डूंगरपुर डिक्री)

श्रीमती धूली पत्नी हीरालाल डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. महाप्रबन्ध, जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य सड़क विकास विभाग जरिये प्रबन्ध निदेशक, जयपुर।

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूगरपुर
दिनांक 28.02.2020 प्र.सं. 57 / 2014

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

–––::–––

निर्णय दिनांक 13–09–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया को दिनांक 23–01–2006 को मिसल संख्या 239 / 06 से विशेष राजस्व अभियान 2006 के तहत गांव पालवाड़ा की आराजी नंबर 351 में से 4 बीघा भूमि आवंटित की गयी। वादिया ने आवंटित भूमि को काश्त योग्य बनाया एवं काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने जे.सी.बी. लगाकर भूमि में खड्डा खोदना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः वादिया का वाद स्वीकार कर उसे विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर खण्डन जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 3 तनकियात कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

की एवं वादिया का वाद साबित नहीं पाये जाने से दिनांक 28–02–2020 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट/वादिया को विशेष राजस्व अभियान में दिनांक 23–01–2006 को विवादित भूमि आवंटित की गयी है। आवंटन पश्चात उसे विधिवत कब्जा सिपुर्द किया गया है। अपीलान्ट का कब्जा आवंटन के पूर्व से ही चला आ रहा है तथा काफी परिश्रम व रूपये खर्च का भूमि को उपजाउ बनाया है, किन्तु अचानक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने खड्डा खोदना शुरू कर दिया। अपीलान्ट/वादिया ने अपने उक्त कथनों को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है। माननीय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 11–07–2008 को भूमि आरक्षित रखने का आदेश पारित किया गया, जबकि अपीलान्ट का आवंटन दिनांक 23–01–2006 का है। अर्थात भूमि आरक्षित करने के दिन आवंटन प्रभाव में था। आवंटन पश्चात भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज नहीं की गयी एवं नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तो इसमें अपीलान्ट का दोष नहीं है यह राजस्व कर्मियों का काम है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलार्थीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने जवाब में अंकित किया कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 11–07–2008 से आराजी नंबर 4119/351 रकबा 15 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि कार्यालय जिला कलक्टर उद्योग के नाम आरक्षित की गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत किया था, जिस पर जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा दिनांक 04–06–2012 को निर्णय पारित कर अपीलार्थीया के आवंटन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त कर भूमि बिलानाम सरकार घोषित की। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। हमारे समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जिला कलक्टर डूंगरपुर के निर्णय दिनांक 04–06–2012 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया/अपीलान्ट को आवंटन आराजी नंबर 351 रकबा 4 बीघा का आवंटन निरस्त कर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश दिनांक 14–07–2008 की प्रमाणित फोटो प्रति भी प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 4119/351 कुल रकबा 15 बीघा में से 10 बीघा भूमि जिला उद्योग केन्द्र डूंगरपुर के नाम आरक्षित रखी गयी है, जिसका अंकन भी जमाबन्दी में किया जा चुका है तथा दिनांक 02–03–2012 को बनाये गये पर्चा मौका अनुसार भी अपीलान्ट धुली द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये निर्माण से किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की है एवं निर्माण कार्य में सहयोग करने की सहमति दी है। उक्त पर्चा मौके पर स्वयं अपीलान्ट धूली के हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने भी वादिया का आवंटन निरस्त होने के पश्चात वादिया का वाद धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत साबित नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती धूली पत्नी हीरालाल डामोर, नि. पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर बनाम **महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**07 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**28**.....माह.....**02**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री प्रवीण शुक्ला**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पैरोकार सरकार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2020 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested